संख्या 1/33/2012–पी.एंड पी.डब्ल्यू (ई)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरी तल, लोकनायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली,
दिनांकः 16 जनवरी, 2013

कार्यालय ज्ञापन

विषयः (i) निःशक्त बालको की विवाह–उपरांत पारिवारिक पेंशन की पात्रता, और
(ii) दो पारिवारिक पेंशनों की पात्रता के संबंध में स्पष्टीकरण ।

अद्योहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि सरकार ने ऐसे मानसिक/शारीरिक रूप से निःशक्त बालकों को, जो पारिवारिक पेंशन ले रहे थे, ले रहे हैं, या ले सकते हैं, उनके विवाह के बाद भी पारिवारिक पेंशन जारी रखने का निर्णय लिया है। इसके अलावा सरकार ने सेनाओं और/या सिविल सेवाओं की दो पेंशन ले चुके, ले रहे या ले सकने वाले पेंशनभोगी के संबंध में भी दो पारिवारिक पेंशन की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

2. इन निर्णयों को लागू करने के लिए केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 54 के उनियम 6 के बाद व्याख्या 1 और 3 को यथोचित संशोधित कर दिया गया है और उपनियम 13–क और 13–ख का लोप कर दिया गया है। इन संशोधनों को प्रभावी बनाने वाली दिनांक 27 दिसम्बर, 2012 की राजपत्रित अधिसूचना जी एस आर संख्या 938 (ई) की एक प्रति संलग्न है।

3. स्पष्टता के उद्देश्य से पुराना और नया स्पष्टीकरण 1 और 3 में किए गए बदलावों को उजागर करते हुए नीचे उनका पुनः उल्लेख किया जा रहा हैः

पुराना स्पष्टीकरण 1 – कोई अविवाहित पुत्र या अविवाहित या विधवा या तलाकशुदा पुत्री, इस उपनियम के अधीन उस तारीख को, जिसको वह विवाह या पुनर्विवाह कर लेता है, कुटुंब पेंशन के लिए अपात्र हो जाएगा/जाएगी।

स्पष्टीकरण 3 – यह पुत्र या पुत्री या सहोदर या संरक्षक का कर्तव्य होगा कि वे वर्ष में एक बार, यथास्थिति, खजाना या बैंक को यह प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे कि (i) उसने अपनी जीविका का उपार्जन आरंभ नहीं किया है (ii) वह अभी तक अविवाहित है या वह पुनर्विवाहित नहीं है और उसी प्रकार का प्रमाणपत्र निःसंतान विधवा द्वारा उसके पुनर्विवाह के पश्चात् या माता–पिता द्वारा वर्ष में एक बार यथास्थिति, खजाने या बैंक को प्रस्तुत किया जाएगा कि उसने या उन्होंने अपनी जीविका का उपार्जन आरंभ नहीं किया है।

नया स्पष्टीकरण 1 – कोई अविवाहित पुत्र या अविवाहित या विधवा या तलाकशुदा पुत्री, निःशक्त पुत्री या पुत्री को छोड़कर इस उपनियम के अधीन उस तारीख को, जिसको वह विवाह या पुनर्विवाह कर लेता है, कुटुंब पेंशन के लिए अपात्र हो जाएगा/जाएगी।

स्पष्टीकरण 3 – यह पुत्र या पुत्री या सहोदर या संरक्षक का कर्तव्य होगा कि वे वर्ष में एक बार, यथास्थिति, खजाना या बैंक को यह प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे कि (i) उसने अपनी जीविका का उपार्जन आरंभ नहीं किया है (ii) वह अभी तक अविवाहित है या वह पुनर्विवाहित नहीं है और उसी प्रकार का प्रमाणपत्र निःसंतान विधवा द्वारा उसके पुनर्विवाह के पश्चात् या माता–पिता द्वारा या निःशक्त पुत्री या पुत्री द्वारा वर्ष में एक

बार यथास्थिति, खजाने या बैंक को प्रस्तुत किया जाएगा कि उसने या उन्होंने अपनी जीविका का उपार्जन आरंभ नहीं किया है।

4. सेनाओं के पेंशनभोगी को किसी सिविल सेवा में या सिविल पद पर पुनः रोजगार पाने के बाद पारिवारिक पेंशन की मंजूरी उप–नियम 13–क द्वारा विनियमित होती है। इस उननियम के तहत दो पारिवारिक पेंशन दिया जाना प्रतिबंधित था। इसी प्रकार उपनियम 13–ख, पहले पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे अथवा केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार और/या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायतशासी निकाय/केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन स्थानीय निधि के किसी अन्य नियमावली के तहत पात्र किसी व्यक्ति को दो पारिवारिक पेंशन दिया जाना प्रतिबंधित करता है। उल्लेखित राजपत्र अधिसूचना द्वारा उपनियम 13–क और 13–ख का लोप किया जा चुका है।

5. यह स्पष्ट किया जाता है कि पूर्व के मामलों में वित्तीय लाभ दिनांक 24 सितंबर, 2012 से लागू होंगे।

6. जहां तक भारतीय लेखा–परीक्षा और लेखा विभाग के पेंशनभोगियों का प्रश्न है,ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श के उपरांत जारी किए गए हैं।

सु. चौधुरी

(सुजाशा चौधुरी)
उपसचिव, भारत सरकार
दूरभाषः 24635979

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय
लेखा महानियंत्रक का कार्यालय, लोक नायक भवन